श्री जी. एस. इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, इन्दौर
(एसजीएसआईटीएस, इन्दौर)
बालक एवं बालिका छात्रावास

23, एम. विश्वैसरैया रोड, इंदौर (एमपी) – 452003
फोन नं. बालक छात्रावास (0731) 2582561, 2582562, बालिका छात्रावास (0731) 2582592, 2582595

(छात्र/छात्राओं एंव पालको से आग्रह है कि इस प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पूरा पढें एंव कोर्स के दौरान उपरोक्तानुसार अमल करें)

छात्रावास नियम एवं निर्देश

1. छात्रावास रूम आवंटन होने एवं छात्रावास में छात्र के आने पर, छात्र छात्रावास केयरटेकर अथवा छात्रावास कार्यालय के क्लर्क को अपनी उपस्थिती देगा एवं संबंधित कमरे की चाबी प्राप्त कर कमरा अपने लिए अधिकृत करेगा। छात्र को छात्रावास के रजिस्टर में कमरे में प्राप्त सामग्री जैसे फर्नीचर, विद्युत उपकरण एवं इंटरनेट उपकरण आदि की पावती प्रदान करना होगी ।

2. सत्र समाप्ती पर विद्यार्थी अपना कमरा खाली कर समस्त फर्नीचर, विद्युत उपकरण, इंटरनेट उपकरण आदि को छात्रावास केयरटेकर अथवा अन्य अधिकृत कर्मचारी को सौपेगा। विद्यार्थी अगर किसी कारणवश कुछ अतिरिक्त दिन छात्रावास में रहना चाहता/चाहती है तो उसे संबंधित छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी।

3. छात्रावास की दीवारों, दरवाजों, खिडकियों इत्यादी पर खरोचना, चित्रकारी करना, अपना नाम लिखना, उपकरणों से छेड–छाड़ करना, असभ्य भाषा का प्रयोग, धमकी देना, लडाई–झगडा, हिंसा अथवा तोड़–फोड़ करना आदि पूर्णतः वर्जित है। उपरोक्त में से किसी भी गतिविधि में संलग्न पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एंव अर्थदण्ड भी लगाया जायेगा।

4. किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य, शराब, धूम्रपान का सेवन, जुआ/लाटरी इत्यादी खेलना पूर्णतः वर्जित है एवं अपराध की श्रेणी में आता है। इनमें संलग्न पाये जाने पर छात्रावास से तुरंत निष्काशन के साथ ही अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

5. छात्रावास में गुट–बाजी या अन्य प्रकार से एकत्रित होकर अनुशासनहीनता करने वाले सभी छात्रों पर सामूहिक कार्यवाही की जाती है।

6. छात्र हमेशा छात्रावास परिचय पत्र अपने साथ रखें बिना परिचय पत्र किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

7. रैगिंग करना पूर्णतः वर्जित है। यह एक गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाता है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर तुरंत छात्रावास से निष्काशन तय होता है। गंभीर घटना होने पर संस्थान से निष्काशित कर एवं पुलिस को कानूनी कार्यवाही करने हेतु सौप दिया जाता है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) एवं म.प्र. शासन द्वारा रैगिंग रोकने से संबंधित अध्यादेश एवं आदेशों को पढे एवं समझें। उपरोक्त अध्यादेश एवं आदेश छात्रावास सूचना पटल एवं संस्थान वेबसाईट **www.sgsits.ac.in** पर भी उपलब्ध हैं।

8. समस्त छात्रावासी छात्रों एवं उनके पालको को एक शपथ–पत्र देना आवश्यक है कि वे रैगिंग से संबंधित कानून से अवगत है एवं भविष्य में उनका पुत्र/पुत्री रैगिंग से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाये जाते है तो इसके लिए निर्धारित दण्ड का पालन करेगें। इस हेतु विद्यार्थी एवं पालकगण निर्धारित प्रारूप छात्रावास कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। निर्धारित रैगिंग प्रारूप भरकर जमा नही करने पर किसी भी विद्यार्थी का छात्रावास आवंटन मान्य नही होगा।

9. छात्रावासियों द्वारा विशेष आयोजन जैसे जन्मदिन, नवआगंतुक पार्टी, विदाई पार्टी अथवा अन्य खुशी के आयोजन शालीनता, सद्भाव एवं संस्थान अनुशासन के अंतर्गत मनाये जाये। अधिकारियों एवं शिक्षकों के निवास आस–पास है किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। जन्म दिन पर विशेष रूप से रात्रि को 12 बजे अनुशासन में रहें एंव शोर न मचायें । छात्र/छात्राओं कों उछालने गिराने अथवा मारपीट इत्यादि गतिविधियां न करें ।

10. छात्र सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार की सहायता एवं सुझाव हेतु अपने छात्रावास अधीक्षक से कार्यालयीन समय में मिल सकते है। बीमारी अथवा अन्य आपातकालीन स्थिती में किसी भी छात्रावास अधीक्षक से कभी भी संपर्क किया जा सकता है।

11. विद्यार्थीजन कभी भी शहर में अपने नजदीकी दोस्त, रिश्तेदारों, स्थानीय पालकों के घर जाये जो रात्रि में निर्धारित समय पूर्व छात्रावास अवश्य लौट आये। बालिकाएं अगर रात्रि में छात्रावास से बाहर रूकती है तो अपने पालकों को एवं लिखित रूप से छात्रावास अधीक्षक को

अवश्य सूचित करें। अन्यथा किसी भी घटना के लिये छात्र/छात्राऐं स्वंय जिम्मेदार रहेगें ।

12. **छात्रावास में निर्धारित विद्यार्थी के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थी परिजनों एवं बाहरी व्यक्तियों का रूकना सख्त मना है।** छात्र अपने परिजनों के रूकने के लिये संस्थान गेस्ट हाउस की सुविधा निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है ।

13. विद्यार्थी के रात्रि में निर्धारित समय से विलम्ब से आने पर विलम्ब आगमन फार्म भरकर जमा करें। तीन बार से अधिक विलम्ब से आने पर विद्यार्थी के खिलाफ अनुशानात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसमें आर्थिक दण्ड एवं/अथवा छात्रावास निष्काशन शामिल है।

14. छात्रावास में 24 घंटे सेन्ट्रल एक्वागार्ड का स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध रहता है। किन्तु फिर भी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कारण से पानी सप्लाय में व्यवधान की स्थिती में विशेषकर गर्मी के दिनों में कम से कम 10 लीटर पीने का पानी अपने कमरे में अवश्य रखें।

15. अपने ग्रहनगर/पालक के अतिरिक्त बिना अनुमति शहर के बाहर जाना मना है। **शैक्षणिक सेमीनार या ग्रुप पिकनिक पर जाने के पूर्व अपने पालकों एवं संबंधित छात्रावास अधीक्षक को पूर्व सूचना एवं अनुमति लेना आवश्यक है।** इन्दौर शहर में कहीं भी जाने के लिये सुरक्षा की दृष्टि से छात्र अकेले न जाये एंव जहां तक सम्भव हो ऑटो/टेक्सी/बस में ही जायें । विशेष रूप से ध्यान रखें कि संस्थान परिसर के बाहर घटित किसी भी घटना के लिए संस्थान/छात्रावास प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।

16. छात्र द्वारा छात्रावास कार्यालय में किसी भी समस्या या मरम्मत संबंधी आवेदन देने के बाद भी अगर समस्या का समाधान नही होता है तो वे पुनः केयरटेकर अथवा संबंधित क्लर्क से पूछताछ कर सकते है। तदुपरांत समस्या का हल नही होने पर संबंधित वार्डन, चीफ वार्डन इत्यादी को लिखित सूचना देकर अवगत करा सकते है।

17. सभी छात्र छात्रावास विकास संबंधी सुझाव दे सकते है किन्तु किसी भी स्थिती में संस्थान के बाहर के व्यक्तियों के साथ मिलकर किये गये किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अनुशासनहीनता मानते हुए उचित कार्यवाही की जावेगी।

18. छात्रों द्वारा संस्थान परिसर/छात्रावास किसी भी प्रकार के हथियार, डंडा, रॉड, इत्यादी के

पाये जाने पर तुरंत ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

19. संस्थान में परीक्षा देने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिती के नियम का कडाई से पालन किया जाता है विद्यार्थियों का सामूहिक रूप से कक्षाओं में अनुपस्थित रहना (जीटी) पूर्णतः प्रतिबंधित है।

20. छात्रावासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शहर के अन्य हिस्सो में रहने वाले अपने सहपाठियों एवं शहरवासियों से सहज एवं मित्रतापूर्ण तरीके से व्यवहार करें एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती पैदा न होने देवें।

21. छात्रावास में संगीत उपकरण केवल तभी तक मान्य होगे जब तक कि अन्य छात्रावासियों एवं आस–पास के रहवासियों द्वारा कोई आपत्ती दर्ज नही की जाती है। यह आशा की जाती है कि छात्रावासी सभी एक–दूसरे के अध्ययन, एकान्त, विश्राम एवं शांति का ख्याल रखे एवं किसी भी प्रकार का शोर इत्यादी नही करें। आदतन शोर एवं अशांति फेलाने वालो के खिलाफ अनुशासन समिति द्वारा कार्यवाही की जाती है।

22. खेलने के लिए केवल निर्धारित स्थान एवं ग्राउंड का उपयोग करें। छात्रावास कारीडोर एवं छत पर खेलना निषेध है। संस्थान के सभी खेल परिसर सभी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध है । अगर कोई अपना ग्रुप/कक्षा विशेष का अधिकार जमाने का प्रयास करता है तो उस पर कठोर कार्यवाही की जायेगी । छात्रावासी खेलकूद संबंधी समस्त गतिविधियों के लिये संस्थान के क्रीडा अधिकारी का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें ।

23. विद्युत उपकरण जैसे–रूम हीटर, कूलर आदि चलाने की अनुमति नही है। अगर ये उपकरण किसी अवश्यभावी परिस्थिती के कारण आवश्यक है तो इन्हे उपयोग करने से पूर्व संबंधित छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति एवं निर्धारित अतिरिक्त विद्युत राशि जमा करने की स्वीकृती आवश्यक है।

24. छात्रावास फर्नीचर एवं फिटिंग्स को स्थांनांतरित करना एवं कमरे में भोजन पकाना सख्त मना है।

25. विद्यार्थी जब भी कमरे से बाहर जाते है तो बिजली, ट्यूबलाईट्स, पंखे आदि बंद करें एवं पानी के टेप, टोटी बंद रखें।

26. छात्रावास एवं संस्थान प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों के कार्यो पर पूर्ण निगरानी रखी जाती है किन्तु फिर भी विद्यार्थी स्वयं भी सफाई के प्रति जागरूक रहें। समय–समय पर छात्रावास अधीक्षकों द्वारा छात्रों के कमरों का अकस्मिक निरीक्षण किया जाता है छात्रों के कमरों में गंदगी पाये जाने पर आर्थिक दण्ड एवं अनुशसनात्मक कार्यवाही की जाती है। छात्रावास के कमरों, कारीडोर एवं सामूहिक स्थान जैसे बाथरूम, मैस, टॉयलेट्स आदि की सफाई रखना सभी की जिम्मेवारी है। संस्थान एवं छात्रावास में तैनात सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मचारी आदि से सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उन्हे पूर्ण सहयोग करें।

27. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बडी राशि एवं बहुमुल्य सामग्री अपने पास नही रखे अपितु उन्हे सेविंग बैंक खाते एवं बैंक लाकर में रखे। विद्यार्थियों की लापरवाही से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

28. उचित कारण के बिना कक्षाए लगने के दौरान किसी भी विद्यार्थी को दिन में छात्रावास में रहने की अनुमति नही है।

29. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रावासियों को रात्रि 9:00 बजे पश्चात छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नही है। यदि किसी भी कारण से ऐसा करना आवश्यक है तो संबंधित छात्रावास अधीक्षक से उसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

30.. छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को रात्रि 11:00 बजे पश्चात न तो संस्थान परिसर से बाहर जाने की अनुमति है न ही परिसर के अन्दर आने की अनुमति है।

31. सभी छात्रावासियों को छात्रावास मैस (भोजनशाला) की सुविधा लेना आवश्यक है। बाहर का टिफिन मंगाने की अनुमति नही है। बीमार छात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी छात्र को मैस से कमरे में लाकर खाना खाने की अनुमति नही है। छात्रों की मैस समिति द्वारा भोजन की पौष्ष्किता, गुणवत्ता एवं स्वाद का नियमित परीक्षण किया जावे। मैस कमेटी द्वारा नियमित रूप से मैस बिल की जांच एवं कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर करने के उपरांत ही मैस बिल का ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। पूर्व सूचना देने पर छात्रावासी द्वारा लगातार 3 दिन मैस में खाना नही खाया जाता है तो इन दिनों का भोजन का चार्ज नही लगेगा। खाने के अतिरिक्त रू. 15 प्रति माह के हिसाब से मैस मेन्टेनेन्स चार्ज लगता है जिसे मैस राशि में से काटा जाता है।

32. विद्यार्थियो को सलाह दी जाती है कि वे आने–जाने के लिए साईकिल का उपयोग करें।

जिन विद्यार्थियों के पास अपनी साईकिल नहीं है उनके आवेदन पर उन्हे आने–जाने के लिए 1–2 घंटे के लिए संस्थान द्वारा साईकिल उपलब्ध करवायी जा सकती है। **जो विद्यार्थी मोटर साईकिल रखते है उन्हे उस पर संस्थान सुरक्षा स्टीकर चिपकाना आवश्यक है। छात्रावासियों को कार रखने की अनुमति नही है।** विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि पर्यावरण एंव ग्रीन केम्पस के विचार को ध्यान में रखते हुए साईकिल का प्रयोग करें या पैदल ही चलें ।

33. पानी पाइप, विद्युत कार्य, सफाई व्यवस्था, इंटरनेट सुविधा एवं भवन मरम्मत संबंधी कार्यो एवं सुझावों के लिए सुरक्षा कर्मचारी के पास एक अलग रजिस्टर रखा गया है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से उसमें अपनी आवश्यकता एवं टिप्पणी लिख रखते है।

34. छात्रावासी के सगे संबंधी एवं पालक आदि पूर्व बुकिंग एंव अनुमति के साथ निर्धारित राशि के भुगतान पर एक–दो दिन तक संस्थान विश्राम ग्रह में रूक सकते है।

35. बालक छात्रावास में पुरूष एवं बालिका छात्रावास में केवल महिला परिजन दिन में कमरे में जाकर अपने पुत्र/पुत्री से भेंट कर सकते हैं। किसी भी स्थिती में विपरीत लिंग के व्यक्ति को कमरे में रूकने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।

36. सभी पालक आवश्यकता पडने पर संबंधित छात्रावास अधीक्षक से कार्यालयीन समय में उनसे मुलाकात कर अपने बच्चों की गतिविधियों की जानकारी ले सकते है। पालक कभी भी छात्र/छात्रा का आकस्मिक निरीक्षण करें। पालकगण पूरे कोर्स के दौरान कई बार छात्र/छात्राओं उनके शिक्षकों एंव संबंधित विभागाध्यक्ष से मिलकर अपने बच्चों के संबंध में जानकारी लेते रहें ।

37. बालिकाओं के पालक स्थानीय पालक के रूप में अपने विश्वसनीय रिश्तेदारों एवं परिचितों का नाम ही देवें। विश्वसनीय व्यक्ति न होने पर स्थानीय पालक का नाम देना आवश्यक नहीं है।

38. पालकों का विद्यार्थियों से छात्रावास में मिलनें का समय प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक है। पालकों से अपेक्षा है कि उपरोक्त समय का पालन करें।

39. छात्रावास अधीक्षक स्थानीय पालक की तरह होते है। अतः विद्यार्थी उनकी समस्त समझाइसों एवं मार्गदर्शन को सकारात्मक एवं गंभीरता से लेना चाहिए। आपातकालिन समय में छात्र/छात्राऐं पहले अपने छात्रावास अधीक्षक को सूचित करें ।

40. पालकों के स्थायी पते, फोन नं. इत्यादी के परिवर्तन की सूचना संपूर्ण विवरण सहित छात्रावास को तुरंत प्रदान की जावे। यह छात्र/छात्राओं एंव उनके पालकों की जिम्मेदारी होगी ।

41. विद्यार्थियों को अपना सामान ले जाने के लिए गेट–पास प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसमें संबंधित वार्डन एवं सुरक्षा अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। गेट–पास का प्रारूप छात्रावास आफिस अथवा संस्थान वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। गेट–पास एक दिन पूर्व या अवकाश होने पर पहले से ही बनवाया जा सकता है ।

42. संस्थान एवं छात्रावास इंदौर शहर के थाना तुकोगंज के अंतर्गत आता है जिसका फोन नं. 0731–2433100 है आपातकालीन परिस्थिति में संपर्क किया जा सकता है। पालकों को सुझाव दिया जाता है कि वे इस संस्थान में पढने वाले अपने बच्चों का मेडिक्लेम अवश्य करवाये एंव इसकी सम्पूर्ण जानकारी संस्थान को प्रदान करें ।

प्रत्येक छात्रावासी (बालक/बालिका) को उपरोक्त नियमों का पालन करना आवश्यक है नियमों का पालन नही करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। आवश्यकता होने पर संस्थान प्रशासन नियमों में फेर–बदल एवं संशोधन करने का अधिकार रखता है। किसी भी परिस्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार निदेशक को है जिसे सर्वमान्य करना होगा। **विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए छात्रावास सूचना पटल एवं संस्थान वेबसाईट www.sgsits.ac.in को अवश्य देखे ।**

विद्यार्थी एवं पालक का घोषणापत्र

मैने उपरोक्त समस्त नियम एवं उपनियमों को सावधानीपूर्वक पढ़कर समझ लिया है। मै उपरोक्त समस्त नियमों उपनियमों का पूर्ण पालन करने का वचन देता/देती हूं । मैं यह जानता/जानती हूं कि उपरोक्त मे से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को निलंबित अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्यवाही छात्रावास/संस्थान प्रशासन द्वारा की जावेगी। मैं पालक की हैसियत से यह पूरी नियमावली अपने पास रखूंगा एंव समय समय पर पढ़कर उपरोक्तानुसार कार्यशील रहूंगा ।

पालक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल न. .....

छात्र के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल न. .....

संलग्न प्रारूप :– 1. यू.जी.सी. रैगिंग निषेध अधिनियम 2009

2. रैगिंग रोकथाम हेतु विद्यार्थी का घोषणापत्र
3. रैगिंग रोकथाम हेतु विद्यार्थी के पालक का घोषणापत्र
4. छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र
5. संस्थान छात्रावास गेट पास